प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट
“Investigation of Cases under POCSO Act 2012”
(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)
दिनांक 01-07-2020 से 03-07-2020
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **01-07-2020** से **03-07-2020** **“Investigation of Cases under POCSO Act 2012”** विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी, आई.पी.एस. अितरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 16 प्रतिभागियों जिसमें 02 उप पुलिस अधीक्षक, 02 पुलिस निरीक्षक, 03 कम्पनी कमाण्डर, 08 उप निरीक्षक, 01 प्लाटून कमाण्डर ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00–10:10 AM तक पंजीकरण, 10:10-10:55 AM तक कोर्स का परिचय । प्रथम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने पोक्सो अधिनियम 2012 के उद्देश्य और कानूनी ढांचा सेक्शन 19,28,29,38 पर विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय सत्र में डॉ. सुमन राव, पीओ, आरपीए ने एफआईआर की रिकॉर्डिंग, बयानों की रिकॉर्डिंग और पीडित की मेडिकल जांच के बारे में विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा की एवं अन्तिम दिन के अन्तिम सत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों द्वारा दिशानिर्देश, पुलिस मुख्यालय परिपत्र/स्थायी आदेशों के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री मुकश कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने नवीनतम संशोधन और मामले के अध्ययन के साथ पोक्सो अधिनियम 2012 के सेक्शन 19,28,29,38 पर विस्तृत रूप से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री एम.के. पिपलीवाल, एडीपी, आरपीए ने किशोर न्याय के प्रावधान (बचचों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, २०१५ और पोक्सो मामलों से संबंधित विषय पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र एवं अन्तिम दिन के द्वितीय सत्र में डॉ. दीपाली पाठक, ऐसोसिएट प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने मेडिको पोक्सो एक्ट के कानूनी पहलू यौन हिंसा की कानूनी परिभाषा, चोट के बाद का समय, उम्र का अनुमान, मेडिको कानूनी जांच, रिपोर्टिंगआदि पर अपना व्याख्यान दिया। MoHFW दिशानिर्देश और प्राटोकॉल, बचे हुए लोगों के लिए मेडिको-लीगल केयर और विशेष समेहों के लिए यौन हिंसा के शिकार बच्चों और प्रतिक्रियाशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना, यौन हिंसा के शिकार और पीडितो के लिए मेडिको-लीगल केयर के बारे में पुलिस – न्यायपालिका इंटरफेस और बचे/पीडितों के लिए साइको सोशल केयर के लिए दिशानिर्देश, स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका, यौन हिंसा की मेडिको-लीगल एग्जामिशन रिपोर्ट पर विस्तत रूप से चर्चा की।

अन्तिम दिन के द्वितीय सत्र में श्री धन्ना राम, आरएचजेएस (सेवानिवृत) ने न्यायालयों में पोक्सो अपराधों का परीक्षण, न्यायिक परिप्रेक्ष्य, बरी होन के कारणों के बारे में बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में दिनांक 03-07-2020 को 05:00 पीएम पर वचुअल कक्ष में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि डॉ. रवी प्रकाश मेहरदा, एडीजीपी, सिविल राइट्स एंड एटीआई हयूमन ट्रेफिकिंग, राजस्थान, जयपुर के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण – पत्र वितरित किये गये एवं कोर्स समाप्ति की घोषणा ।